भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 549
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यातायात नियंत्रकों की कमी

549. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसी) की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एटीसी की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है और 2024 तक रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस कमी का हवाई यातायात प्रबंधन और विमानन सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त कमी को दूर करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षण पहलों सहित क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या एटीसी में कार्य दशाओं में सुधार करने और नौकरी छोड़कर जाने की दर को कम करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुचारू हवाई यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) की भर्ती, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विभिन्न हवाईअड्डों पर परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है।

एटीसीओ की स्वीकृत संख्या 5537 है, जिसमें हाल के वर्षों में सृजित 1636 पद शामिल हैं, तथा आज की तारीख में 1613 पद रिक्त हैं।

विमानन क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाता है। कुशल हवाई यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हवाई यातायात की मात्रा के आधार पर एटीसीओ को हवाईअड्डों पर तैनात किया जाता है।

(ङ) और (च): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज, चिकित्सा लाभ, आकर्षक टर्मिनल लाभ, स्वयं और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायतें, रेटिंग और तनाव भत्ता आदि सहित विभिन्न प्रोत्साहन और भत्ते एटीसीओ को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एटीसीओ के लिए वॉच ड्यूटी टाइम सीमाएं

लागू की जाती हैं और एटीसीओ के लिए रेटिंग और तनाव भत्ता दिनांक 01.10.2024 से दोगुना कर दिया गया है।

*****